



सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि
GENERAL PROVIDENT FUND / CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

नामांकन का प्रारूप / FORM OF NOMINATION

प्रथम अनुसूची {नियम 5 (3)} / FIRST SCHEDULE {Rule 5 (3)}

खाता संख्या / Account No.:

मैं, _____ नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1960 के नियम 2 में परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य/गैर-सदस्य है, नीचे दर्शाए अनुसार निधि में मेरे खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित करता हूँ, यदि वह राशि देय होने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, या देय होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया है।

I, _____, hereby nominate the person(s) mentioned below, who is/are member(s) /non-member(s) of my family as defined in rule 2 of the General/Contributory Provident Fund Rules (India), 1960, to receive the amount that may stand to my credit in the fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid.

नामिती(यों) का नाम और पता/ Name and address of nominee(s)	अभिदाता से संबंध/ Relationship with the subscriber	नामांकित (यों) की आयु/ Age of the nominee (s)	प्रत्येक नामिती को देय अंश/ Share payable to each nominee	ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा/ Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	उस व्यक्ति(यों) का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे नामिती का अधिकार उसके अभिदाता से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में चला जाएगा/Name, address & relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	यदि नामिती नियम 2 के अनुसार परिवार का सदस्य नहीं है, तो कारण बताएं/ If the nominee is not a member of the family as provided in Rule 2, indicate the reasons

दिनांक/Dated: स्थान/Place:

अभिदाता का हस्ताक्षर / Signature of Subscriber _____

नाम बड़े अक्षरों में / Name in Block letter _____

पदनाम / Designation _____

दो गवाहों के नाम, पता व हस्ताक्षर / Two witnesses to signature Name & Address

1. _____

2. _____